

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

विद्युत निरीक्षकालय सहित राज्य के सभी संभागीय / उप संभागीय कार्यालयों के कार्यालयीन व्यय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी अंतर्गत ₹ 5000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 3

सेरीखेड़ी विशेष आवास योजना अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना का विकास कार्य अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण कार्यों के लिए ₹ 478.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

अविद्युतीकृत ग्रामीण मजराटोला/बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु ₹ 53,19,600 का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 53,19,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद क्रमांक 5

कृषि पंपों का ऊर्जाकरण हेतु ₹ 4275.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 42,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु नया रायपुर में भूमि आबंटन के लिए ₹ 3,12,06,324 का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,12,06,324 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 7

सौर ऊर्जा के माध्यम से शृद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।